E o Malaria

हरियाणा सरकार

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

दिनांक 4 फरवरी, 1998

संख्या सा० का० नि० 92/संवि०/अनु० 309/98.--भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा स्वास्थ्य विभाग, लिपिकीय (उप कार्यालय) (ग्रुप-ख) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा उनकी सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं) अर्थात् :--

भाग-I सामान्य

1. ये नियम हरियाणा स्वास्थ्य विभाग लिपिकीय, उप कार्यालय (ग्रुप-ख) सेवा नियम, 1998, कहे जा सकते हैं। संक्षिप्त नाम।

2. इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-- परिभाषाएं।

(क) "आयोग" से अभिप्राय है, हरियाणा लोक सेवा आयोग ;

(ख) "महानिदेशक" से अभिप्राय है, महानिदेशक स्वास्थ्य सेवायें, हरियाणा ;

(ग) "सीधी भर्ती" से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति जो, सेवा में से पदोन्नति द्वारा या भारत सरकार या किसी राज्य की सेवा में पहले से लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण से अन्यथा कोई हो ;

(घ) "सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासकीय विभाग में हरियाणा सरकार ;

(ङ) "संस्था" से अभिप्राय है :--

(i) हरियाणा राज्य में लागू विधि द्वारा स्थापित कोई संस्था ; या

(ii) इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य संस्था ;

(च) "मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय" से अभिप्राय है,--

(i) भारत में विधि द्वारा निगमित कोई विश्वविद्यालय ; या

(ii) 15 अगस्त, 1947, से पूर्व हुई परीक्षा के परिणाम स्वरूप प्राप्त उपाधि, उपाधि पत्र (डिप्लोमा) या प्रमाण पत्र की दशा में, पंजाब, सिन्ध या ढाका विश्वविद्यालय ; या

(iii) कोई अन्य विश्वविद्यालय, जो इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय घोषित किया गया हो ;

(छ) "सेवा" से अभिप्राय है, हरियाणा स्वास्थ्य विभाग लिपिकीय उप कार्यालय (ग्रुप–ख) सेवा ।

भाग–II सेवा में भर्ती

पदों की संख्या या उनका स्वरूप ।

3. सेवा में इन नियमों के परिशिष्ट क में दर्शाए गये पद होंगे :

परन्तु इन नियमों की कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नए पद स्थायी अथवा अस्थायी रूप से बनाने के सरकार के अन्तर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी ।

सेवा में भर्ती किये गये उम्मीदवारों की राष्ट्रीयता, अधिवास तथा चरित्र ।

4. (1) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्त नही किया जायेगा, जब तक कि वह निम्नलिखित न हो––

(क) भारत का नागरिक ; या

(ख) नेपाल की प्रजा ; या

(ग) भूटान की प्रजा ; या

(घ) तिब्बत का शरणार्थी, जो प्रथम जनवरी, 1962, से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो; या

(ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति जो पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका तथा कीनिया युगांडा, तंजानिया क संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टांगानिका और जंजीबार) जांबिया, मलावी, जायरे और इथोपिया के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रवासित होकर भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो :

परन्तु प्रवर्ग (ख), (ग), (घ) या (ङ) से सम्बन्धित किसी प्रवर्ग का व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होगा, जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो ।

(2) कोई भी व्यक्ति जिसकी दशा में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो, उसे आयोग अथवा किसी अन्य भर्ती प्राधिकारी द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिए प्रविष्ट किया जा सकता है किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे सरकार द्वारा आवश्वक पात्रता प्रमाण पत्र जारी किये जाने के बाद ही दिया जा सकता है ।

नियुक्ति प्राधिकारी ।

5. सेवा में पदों पर नियुक्तियां सरकार द्वारा की जायेंगी ।

योग्यताएं ।

6. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति की दशा में इन नियमों के परिशिष्ट ख के खाना 3 में उल्लिखित योग्यताएं तथा अनुभव न रखता हो :

अयोग्यताए ।

7. कोई भी व्यक्ति,—

(क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है ; या

(ख) जिसने जीवित पति/पत्नी के होते हुये किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है,

सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि सरकार को इस सम्बन्ध में संतुष्टि हो जाये कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है।

भर्ती का ढंग ।

8. (1) स्थापना अधिकारी (मलेरिया) की दशा में सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जायेगी :—

(i) उप कार्यालय संवर्ग के अधीक्षकों में से पदोन्नति द्वारा ; अथवा

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(2) सभी पदोन्नतियां, जब तक अन्यथा उपबन्धित न किया गया हो, ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जायेंगी और केवल ज्येष्ठता ही ऐसी पदोन्नति का अधिकार प्रदान नहीं करेगी ।

परिवीक्षा ।

9. (1) सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि वह सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो एक वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रहेगा :

परन्तु —

(क) ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर व्यतीत की गई अवधि परिवीक्षा की अवधि की ओर गिनी जायेगी,

(ख) स्थानान्तरण द्वारा किसी नियुक्ति की दशा में , सेवा में किसी पद पर नियुक्ति से पहले किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किये गये कार्य की अवधि नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर, इस नियम के अधीन नियत परिवीक्षा अवधि की ओर गिनने की अनुमति दी जा सकती है ; और

(ग) स्थानान्पन्न नियुक्ति की अवधि परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जायेगी, किन्तु कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे स्थानापन्न रूप में कार्य किया है, परिवीक्षा की विहित अवधि के पूरा होने पर, यदि वह किसी स्थायी रिक्ति पर नियुक्त न किया गया हो, पुष्ट किये जाने का हकदार नहीं होगा ।

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो, तो वह यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो, —

(i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है ; या

(ii) उसके सम्बन्ध में किसी ऐसी अन्य रीति में कार्रवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें अनुज्ञात करें ;

(3) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर नियुक्ति प्राधिकारी,—

(क) यदि उसकी राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक रहा हो तो,—

(i) ऐसे व्यक्ति को उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है यदि वह किसी स्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो;

(ii) ऐसे व्यक्ति को स्थायी रिक्ति होने की तिथि से पुष्ट कर सकता है, यदि वह किसी अस्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो ;

(iii) यदि कोई स्थायी रिक्ति न हो, तो घोषित कर सकता है कि उसने अपनी परिवीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूरी कर ली है ; या

(ख) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में संतोषजनक न रहा हो तो —

(i) यदि वह सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है, या उसके सम्बन्ध में ऐसी अन्य नीति में कार्रवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें अनुज्ञात करें ;

(ii) उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश कर सकता है, जो वह परिवीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था :

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि , जिसमें बढ़ाई गई अवधि भी, यदि कोई हो, शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

ज्येष्ठता । 10. सेवा में सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता किसी भी पद पर उसके लगातार सेवा काल के अनुसार निश्चित की जायेगी :

परन्तु जहां सेवा में विभिन्न संवर्ग हों, वहां ज्येष्ठता प्रत्येक संवर्ग के लिये अलग-अलग निश्चित की जायेगी :

परन्तु एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता निम्नानुसार निश्चित की जायेगी :—

(क) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य, स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ;

(ख) पदोन्नति द्वारा अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता ऐसी नियुक्तियों में ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जायेगी, जिससे वह पदोन्नति या स्थानान्तरित किये गये थे, और

(ग) विभिन्न संवर्गों से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जायेगी अधिमान ऐसे सदस्य को दिया जायेगा जो अपनी पहले की नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो तो उनकी नियुक्तियों में उनके सेवाकाल के अनुसार और यदि सेवाकाल भी समान हो तो आयु में बड़ा सदस्य छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा।

सेवा करने का दायित्व।

(1) सेवा का कोई सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, हरियाणा राज्य में अथवा उसके बाहर किसी भी स्थान पर, सेवा करने के लिए आदेश दिये जाने पर ऐसा करने के के लिए दायी होगा।

(2) सेवा के किसी सदस्य को निम्नलिखित के अधीन भी सेवा के लिए प्रतिनियुक्ति किया जा सकता है :—

(i) किसी कम्पनी संगम या व्यष्टि निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण राज्य सरकार के पास हो, हरियाणा राज्य के भीतर नगरनिगम या स्थानीय प्राधिकरण अथवा विश्वविद्यालय, या

(ii) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय चाहे वह निगमित हो या नही, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण केन्द्रीय सरकार के पास हो, अथवा

(iii) किसी अन्य राज्य सरकार; अर्न्तराष्ट्रीय संगठन स्वातित्व निकाय जिसका नियन्त्रण सरकार के पास न हो अथवा गैर-सरकारी निकाय :

परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को उसकी सहमति के बिना खण्ड (ii) या खण्ड (iii) में निर्दिष्ट केंद्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय में सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्त नहीं किया जायेगा।

वेतन; छुट्टी, पेंशन तथा अन्य मामलें।

12. वेतन छुट्टी पेंशन तथा सभी अन्य मामलें के सम्बंध में जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपबन्ध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य एसे नियमों तथा विनियमों द्वारा नियन्त्रित होंगे, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन अथवा राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गई तथा उस समय किसी विधि के अधीन अपनाए या बनाए गए हो अथवा इसके बाद अपनाए या बनाए जाएं।

अनुशासन शास्तियां तथा अपील ।

13. (1) अनुशासन शास्तियां तथा अपीलों से सम्बन्धित मामलों में सेवा के सदस्य समय-समय पर यथा संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड एवं अपील) नियम, 1987, द्वारा नियन्त्रित होंगे :

परन्तु ऐसी शास्तियों का स्परूप जो लगाई जा सकती है, ऐसी शास्तियां लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये वे होंगें, जो इन नियमों के परिशिष्ट ग में विनिर्दिष्ट हैं।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम 1987 के नियम 9 के उप नियम (1) के खण्ड ग या खण्ड (घ) के अधीन आदेश पारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वह होगा, जो इन नियमों के परिशिष्ट घ में विनिर्दिष्ट है।

टीका लगवाना ।

14. सेवा का प्रत्येक सदस्य, जब सरकार किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा ऐसा करने के निर्देश करे, तो टीका लगवायेगा और पुन: टीका लगवायेगा।

राजनिष्ठा की शपथ ।

15. सेवा के प्रत्येक सदस्य से जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ न ले ली हो, ऐसा करने की अपेक्षा की जायेगी।

ील देने की शक्ति ।

16. जहां सरकार की राय में, इन नियमों के किसी उपबन्ध में ढील देना आवश्यक या समोचित हो वहां वह कारण लिखकर, आदेश द्वारा, व्यक्तियों को किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती है।

विशेष उपबन्ध ।

17. इन नियमों में किसी बात के होते हुये भी, नियुक्ति प्राधिकारी, यदि नियुक्ति आदेश में विशेष निबन्धन तथा शर्तें लगाना उचित समझे तो वह ऐसा कर सकता है।

आरक्षण ।

18. इन नियमों में दी गई कोई भी बात राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार जातियों, पिछड़े वर्गों भूतपूर्व सैनिकों, शारीरिक रुप से विकलांग प्रवर्गो अथवा व्यक्तियों के किसी अन्य वर्ग या प्रवर्ग को दिए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नही करेगी :

परन्तु इस प्रकार किए गए आरक्षण की कुल प्रतिशतता किसी भी समय पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

निरसन तथा व्यावृति ।

19. सेवा को लागू कोई नियम तथा इन नियमों में से किसी के अनुरूप कोई नियम जो इन नियमों के आरम्भ से तुरन्त पहले लागू हो, इसके द्वारा निरसित किए किए जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार से निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्रवाई इन नियमों के अनुरुप उपबन्धों के अधीन किया गया आदेश अथवा दी गई कार्रवाई समझी जायेगी।

परिशिष्ट क

(देखिए नियम 3)

क्रम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या			वेतनमान
		स्थायी	अस्थायी	जोड़	
1	2	3	4	5	6
	स्थापना अधिकारी (मलेरिया)	—	1	1	2,000–60–2,300–75–2,900–द०रो० 100–3,500 रुपये

परिशिष्ट ख

(देखिए नियम 7)

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो
1	2	3
	स्थापना अधिकारी (मलेरिया)	पदोन्नति के लिए, स्वास्थ्य विभाग के उप कार्यालयों में अधीक्षक के रूप में दो वर्ष का अनुभव । स्थानान्तरण द्वारा :– (क) स्नातक, (ख) अधीक्षक के पद पर चार वर्ष का अनुभव ।

परिशिष्ट ग

[देखिए नियम 14(1)]

क्रम संख्या	पदनाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी	द्वितीय तथा अन्तिम अपील प्राधिकारी; यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6	7
	स्थापना अधिकारी (मलेरिया)	सरकार	1. छोटी शास्तियां : (i) वैयक्तिक फाईल (आचरण पंजी) पर प्रति रखते हुये चेतावनी, (ii) परिनिन्दा, (iii) पदोन्नति रोकना, (iv) आदेशों की उपेक्षा या उल्लंघन द्वारा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को या ऐसी कम्पनी तथा संगम तथा व्यष्टि निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण सरकार के पास है, या संसद या राज्व विधानमण्डल के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधि–करण या विश्वविद्यालय को हुई धन सम्बंधी पूरी हानि को या उसके भाग को वेतन से वसूली; (v) संचयी प्रभाव के बिना वेतन वृद्धियां रोकना । 2. बड़ी शास्तियां : (vi) संचयी प्रभाव से वेतन वृद्धियां रोकना;	महानिदेशक सरकार	सरकार	

1	2	3	4	5	6	7
			(vii) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए असमयमान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति ऐसे अतिरिक्त निर्देशों सहित कि क्या सरकारी कर्मचारी ऐसी अवनति के दौरान वेतन वृद्धियां अर्जित करेगा या नहीं और क्या ऐसी अवधि की समाप्ति पर, ऐसी अवनति उसकी भावी वेतन वृद्धियां स्थगित करने का प्रभाव रखेगी या नहीं,			
			(viii) निम्नतर वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर ऐसी अवनति जो सरकारी कर्मचारी के उस समय वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर, जिससे वह अवनत किया गया था, पदोन्नति के लिए साधारणतय: रोक होगी, ऐसा जिस ग्रेड अथवा पद सेवा से सरकारी कर्मचारी अवनत किया गया था, उस पर बहाली सम्बन्धी और उसकी ज्येष्ठता तथा उस ग्रेड पद या सेवा पर वेतन के बारे में शर्तों सम्बन्धी अतिरिक्त निर्देशों के साथ या उसके बिना होगी;			
			(ix) अनिवार्य सेवा निवृति,			
			(x) सेवा से हटाया जाना, जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए निरर्हता नहीं होगी,			
			(xi) सेवा से पदच्युति जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए सामान्यता निरर्हता होगी।			

परिशिष्ट घ

[देखिए नियम 14(2)]

क्रम संख्या	पदनाम	आदेश का स्वरूप	आदेश करने के सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5
1	स्थापना अधिकारी (मलेरिया)	(क) पेंशन को नियन्त्रित करने वाले नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय सामान्य/अतिरिक्त पेंशन की राशि में कमी करना या रोकना ; (ख) सेवा के किसी सदस्य को उसकी अधिवर्षिता के लिए नियत आयु के होने से अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति ।	सरकार	

वीना ईगलटन,

वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
स्वास्थ्य विभाग ।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

HEALTH DEPARTMENT

Notifcation

The 4th February, 1998

No.C.S.R.92/Const/Art. 309/98.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India the Governor of Haryana hereby makes the following rules regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Haryana Health Department Ministerial (Sub-Office Group B) Service, namely :—

PART I GENERAL

1. These rules may be called the Haryana Health Department Ministerial Sub-Office (Group B) Service, Rules, 1998. Short title.

2. In these rules, unless the contexts otherwise requires,— Definitions.

(a) "Commission" means the Haryana Public Service Commission;

(b) "Director General" means the Director General, Health Services, Haryana ;

(c) "direct recruitment" means an appointment made otherwise than by promotion from within the Services or by transfer of an officer already in the service of the Government of India or any State Government ;

(d) "Government" means the Haryana Government in the Administrative Department ;

(e) "institution" means,—

(i) any institution established by law in force in the State of of Haryana ; or

(ii) any other institution recognised by the Government for the purpose of these rules;

(f) "recognised university" means ,—

(i) any University incorporated by law in India ; or

(ii) in the case of a degree diploma or certificate as a result of an examination held before the 15th August, 1947, the Punjab, Sind or Dacca University ; or

(iii) any other university which is declared by the Government to be recognised university for the purpose of these rules ;

(g) "Service" means the Haryana Health Department Ministrial Sub-Office (Group B) Service.

PART II—RECRUITMENT TO SERVICE

Number and character of posts.

3. The Service shall comprise the posts shown in Appendix A to these rules :

Provided that nothing in these rules shall affect the inherent right of Government to make additions to or reductions in, the number of such posts or to create new posts, with different designations and scales of pay, either permanently or temporarily.

Nationality, domicile and character of candidates appointed to service.

4. (1) No person shall be appointed to any posts in the Service, unless he is,—

(a) a citizen of India ;or

(b) a subject of Nepal ; or

(c) a subject of Bhutan ; or

(d) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st day of January, 1962, with the intention of permanently settling in India: or

(e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan Burma, Sri Lanka or any of the East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaira and Ethopia with the intention of permanently settling in India :

Provided that a person belonging to any of the categories (b), (c), (d), or (e), shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government.

(2) A person in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by the Commission or any other recruiting authority, but offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government.

Appointing authority.

5. Appointment to any post in the Service shall be made by the Government.

Qualifications.

6. No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is in possession of qualifications and experience specified in column 3 of Appendix B to these rules in the case of persons appointed other than by direct recruitment.

Disqualifications.

7. No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person ;

shall be eligible for appointment to any post in Service :

Provided that the Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule .

Method of recruitment.

8. (1) Recruitment to the Service in the case of Establishment Officer (Malaria) shall be made,—

(i) by promotion from amongst Superintendent of the sub-office cadre ; or

(ii) by transfer or deputation of an Officer already in the Service of any State Government or the Government of India.

(2) All promotions unless otherwise provided, shall be made on seniority-cum-merit basis and seniority alone shall not count any right to such promotion .

Probation.

9. (1) persons appointed to any post in the Service shall remain on probation for a period of one year, if appointed otherwise than by direct recruitment.

Provided that—

(a) any period, after such appointment, spent on deputation on a corresponding or a higher post shall count towards the period of the probation ; and

(b) any period of work in equivalent or higher rank, prior to appointment to any post in the Service, may, in the case of an appointment by transfer, at the discretion of the appointing authority, be allowed to count towards the period of probation fixed under this rule; and

(c) any period of officiating appointment shall be reckoned as period spent on probation, but no person who hss so officiated shall, on the completion of the prescribed period of probation, be entitled to be confirmed unless he is appointed against a permanent vacancy.

(2) If, in the opinion of the appointing authority, the work or conduct of a person during the period of probation is not satisfactory, it may, if such person is appointed otherwise than by direct redruitment,—

(i) revert him to his former posts ; or

(ii) deal with him in such other manner as the terms and conditions of the previous appointment permit.

(3) On the completion of the period of probation of a person, the appointing authority may,—

(a) if his work or conduct has, in its opinon, been satisfactory.—

(i) confirm such person from the date of his appointment if appointed against a permanent vacancy ; or

(ii) confirm such person from the date from which a permanent vacancy occure, if appointed against a temporary vacancy ; or

(iii) declare that he has completed his probation satisfactorily, if there is no permanent vacancy ; or

(b) if his work or conduct has in its opinion, been not satisfactory.—

(i) if appointed otherwise than by direct recruitment revert him to his former post or deal with him in such other manner, as the trems and conditions of previous appointment permit ; or

(ii) extend his period of probation and thereafter pass such order, as it could have passed on the expiry of probation.—

Provided that the total period of probation including extension, if any, shall not exceed three years.

Seniority.

10. Seniority, *inter se* of the members of the Service shall be determined by the length of continuous service on any post in the Service :

Provided that where there are differant cadre in Service, the seniority shall be determined separately for each cadre:

Provided further that in the case of two or more members appointed on the same date, their seniority shall be determined as follows :—

(a) member appointed by promotion shall be senior to a member appointed by transfe ;

(b) in the case of a member appointed by promotion or by transfer, seniority shall be determined according to the seniority of such members in the appointments from which they were promoted or transferred ; and

(c) in the case of members appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined according to pay, preference being given to a member who was drawing a higher rate of pay in his previous appointment ; and if the rate of pay drawn are also the same, then by their length of their service in the appointments; and if the length of such Service is also the same, the older mamber shall be senior to the younger member.

Liability to serve.

11. (1) A member of the Service shall be liable to serve at any place, whether within or outside the State of Haryana, on being ordered so to do, by the appointing authority.

(2) A member of the Service may also be deputed to serve under—

(i) a company, an association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controllerd by the State Government, Municipal Corporation or a local authority or University within the State of Haryana ;

(ii) the Central Government or a Company, an association or a body of individuals whether incorporated or not which is wholly or substantially owned or controlled by the Central Government ; or

(iii) any other State Government, an international organisation, an autonomous body not controlled by the Government or a private body :

Provided that no member of the Service shall be deputed to serve the Central or any other State Government or any organisation or body referred to in clauses (ii) or (iii) except with his consent.

Pay, leave, pension and other matters.

12. In respect of pay, leave, pension and all other matters not expressly provided for in these rules, the members of the Service shall be governed by such rules and regulations as may have been, or may hereafter be adopted or made by the competent authority under the Constitution of India or under any law for the time being inforced made by the State Legislature.

Discipline, penalties and appeals.

13. (1) In matters relating to discipline, penalties and appeals, members of the Service shall be governed by the Haryana Civil Service (Punishment and Appeals) Rules, 1987, as amended from time to time :

Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and appellate authority shall, subject to the provisions of any law or rules made under article 309 of the Constitution of India, be such as are specified in Appendix C to these rules.

(2) The authority competent to pass an order under clause (c) or clause (d) of sub-rule (1) of rule 9 of the Haryana Civil Serivices Punishment and Appeals) Rules, 1987 and appellate authority shall be specified in Appendix D to these rules.

Vaccination.

14. Every member of the Service shall get himself vaccinated and re-vaccinated as and when the Government so directs by a special or general order.

Oath of allegiance.

15. Every member of the Service, unless he has already done so, shall be required to take the oath of allegiance to India and to the Constitution of India as by law established.

Power of relaxation.

16. Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may by order for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any clause or category of persons.

Special provisions.

17. Notwithstanding anything contained in these rules. the appointing authority may impose special terms and conditions in the order of appointment if it is deemed expedient to do so.

Reservations.

18. Nothing contained in these rules shall effect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Backward Classes, Ex-Servicemen, physically handicaped persons or any other class or category of persons in accordance with the orders issued by the State Government in this regard, from time to time :

Provided that the total percentage of reservations so made shall not exceed fifty percent, at any time.

Repeal and savings.

19. Any rule applicable to the Service and corresponding to any of these rules which is in force immediately before the commencement of the rules is hereby repealed :

Provided that any order made or action taken under the rules, so repealed, shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

APPENDIX A

(*See* rule 3)

Sl. No.	Designation of posts.	Number of posts			Scale of Pay
		Permanent	Temporary	Total	
1	2	3	4	5	6
1.	Establishment Officer (Malaria)	—	1	1	2,000—60—2,300—75—2,900—EB 100—3,500

APPENDIX B

(*See* rule 6)

Sr. No.	Designation of posts.	Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment.
1	2	3
1	Establishment Officer (Malaria)	By promotion :— Two years experience as the Superintendent of Sub-Office of Health Department; By transfer;— (a) Graduate. (b) Four years experience on the post of Superintendent.

APPENDIX C

[*See* rule 13 (1)]

Sr. No.	Designation of posts	Appointing authority	Nature of penalty	Authority empowered to impose penalty	Appellate authority.	Second and final appellate authority, if any
1	2	3	4	5	6	7
1	Establishment Officer (Malaria)	Government	Minor penalties (i) warning with a copy in the personal file (Character roll) ; (ii) Censure ; (iii) with holding of promotion ; (iv) recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by negligence or breach of orders, to the Central Government or State Government or to a Company and Association or a body of individuals whether incorporated or, not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Government or to a local authority or university set up by an Act of Parliament or of the Legislature of a State ; and	Director General	Government	

1	2	3	4	5	6	7
			(v) with holding of increments of pay without cumulative effect ;			
			Major penalties.	Government.		
			(vi) with holding of increments of pay with cumulative effect ;			
			(vii) reduction to a lower stage in the time scale of pay for a specified period with further direction as to whether or not the Government employee will earn increments of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period, the reduction will or will not have the effect of postponing the future increments of his pay ;			
			(viii) reduction to a lower scale of pay, grade, post or service which shall ordinarily be a bar to the promotion of the Government employee to the time scale of pay grade, post or service from which he was reduced, with or without further			

1	2	3	4	5	6	7
			directions regarding conditions of restoration to the grade or post or service from which the Government employee was reduced and his seniority and pay on such restoration to that grade, post or service ;			
			(ix) compulsory retirement ;			
			(x) removal from service which shall not be a disqualification for future employment under the Government ;			
			(xi) dismissal from Service which shall ordinarily be a disqualification for future employment under the Government.			

APPENDIX D

[*See* rule 13(2)]

Sr. No.	Designation of posts	Nature of order	Authority empowered to make order	Appellate authority
1	2	3	4	5
1	Establishment Officer (Malaria)	(a) reducing or with holding the amount of ordinary or additional pension admissible under the rules governing pension ;	Government	
		(b) terminating the appointment other wise than on his attaining the age fixed for superannuation.		

VEENA EAGLETON,

Financial Commissioner and Secretary to Government, Haryana, Health Department, Chandigarh.

19883 CS(H)—Govt. Press, U.T., Chd.